ोन :-01

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

संख्या 186/185/सम्बद्धता/1991

प्रेषक :

कुलसचिव
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर (उ० प्र०)

सेवा में,
श्रीराम रक्षा पाण्डेय,
प्रबन्धक,
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला-डिग्री कालेज, गोरखपुर।

विषय :

दिनांक 29-4-1991 1-5-1991

विषय:- चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षायें आरम्भ करनें के सम्बन्ध में।

महोदय,

कुलपति जी को सम्बोधित उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 6-4-1991 का सन्दर्भ लें।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं गृह विज्ञान विषयों में महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा 1 जुलाई 1990 से अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति दिये जानें के फलस्वरूप कुलपति जी ने उपरोक्त छः विषयों में नियमानुसार प्रवेश एवं कक्षायें चलानें हेतु अनुमति प्रदान करनें की कृपा की है।

भवदीय,

कुलसचिव

कुलसचिव
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

प्रतिलिपि

कुलसचिव
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई-1513/जी0एस0/ दिनांक अप्रैल 04, 1997 जो श्री एल0मिल्टन, कुलाधिपति के अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कुलसचिव, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को सम्बोधित है ।

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज ~~महाविद्यालय~~, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास तथा गृह विज्ञान विषयों में दिनांक 01-7-97 से स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक 1117 /सम्बद्धता/96-97 दिनांक: अप्रैल 11, 1997

प्रतिलिपि प्राचार्य/प्रबन्धक, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर स्थायी सम्बद्धता की सूचना ।

11/4/97

सहायक कुलसचिव(सम्बद्धता)

11-4-97 11/4/97

प्रमु-5-12-2016

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2016 / (275) / 1731 दिनांक 3 / 12 / 2016

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर।

विषय : चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत दृश्यकला विषय में कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अनिधिनियम, 1973 (यथा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2015 / 825 दि0 30 मई, 2015 द्वारा चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत दृश्यकला विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन दिनांक 01 जुलाई, 2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधित अधिनियम, 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत दी गयी सम्बद्धता तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 06.10.2016 को प्रस्तुत पत्र के दृष्टिगत कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत दृश्यकला विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01 जुलाई, 2016 से आगामी एक वर्ष हेतु कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है–

1. विश्वविद्यालय के पत्र संख्या दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2015 / 825 दि0 30 मई, 2015 में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह कक्षा संचालन है, जिसमें इंगित कमियों (*यथा– प्राचार्य अनुमोदित नहीं हैं, तथा दृश्य कला विषय में तीन प्रवक्ता का अनुमोदन 15 दिसम्बर, 2016 तक करा लिया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय में संदर्भित विषय के प्रवेशित छात्रों की परीक्षा नहीं करायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी*) की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. **संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।**
3. **महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।**
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनाक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्राविधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
8. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
10. **संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।**
11. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. **महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।**
13. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2015–16 एवं 2016–17 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता, कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय / परीक्षा नियंत्रक / उपकुलसचिव (परीक्षा सामान्य), दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. उपकुलसचिव (कमेटी) को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय / गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F. No./NRC/NCTE/UP-1224/2015/132128 Date: 21 DEC 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. **AND WHEREAS,** the recognition was granted by NRC to **Chandrakanti Ramawati Devi Arya Mahila P.G. College, Gorakhpur-273001, State – Uttar Pradesh** for **B.Ed. Course** vide order No. **F. NRC/NCTE/F-3/UP-1224/2005/4340-4348 dated 30.06.2005 with an annual intake of 100 seats with effect from 28th June, 2005.**

3. **AND WHEREAS,** the institution **Chandrakanti Ramawati Devi Arya Mahila P.G. College, Gorakhpur-273001, State – Uttar Pradesh** has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. **AND WHEREAS,** it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

(i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by May 30th, 2016.

(ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before May 30th, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

(iii) The institution shall identified/selected the faculty/staff and obtained the approval from the affiliating body for the same latest by 29th February, 2016 and same be conveyed to the Northern Regional Committee by that date.

(iv) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition after May 30th, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

(v) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

5. **Now therefore,** in the light of the above , the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Chandrakanti Ramawati Devi Arya Mahila P.G. College, Gorakhpur-273001, State – Uttar Pradesh** for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 29.02.2016.

6. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

Cont. 2

कार्यालय : चौथी मंजिल, जीवन निधी–II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल
भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302 005 (राजस्थान)
क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No. 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle
Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajast
E-mail : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.o

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 2084 /जी.एस.
दिनांकः 26/10 /2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांकः १२३६–३७/सम्बद्धता/२००६ दिनांक ३०–६–२००६ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,गोरखपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२–२००३–१६ (९२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व्दारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद व्दारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।

३– यदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,४६–ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
४– प्रबन्धक/प्राचार्य, चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,गोरखपुर।

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्राप्त-13-2-2015
S.R.No-(1085)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2015 / 3067 दिनांक 11 / 02 / 2015

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोरखपुर

विषयः चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान विषय में सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या शासन के पत्र संख्या सम्ब0 385ए / सत्तर–6–2013–2(280) / 2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 द्वारा **चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान विषय में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय के, शैक्षिक सत्र 2012–13 के परीक्षाफल एवं सामूहिक नकल में आरोपित न होने पर ही कतिपय शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2013 से शैक्षिक सत्र 2013–14 हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 के अनुपालन में महाविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित सत्र 2012–13 का परीक्षाफल एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सत्र 2012–13 में परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है।

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गयी वचनबद्धता के आलोक में **चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान विषय में** माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2013 से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत **सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–**

1. शासन के पत्र संख्या सम्ब0 385ए / सत्तर–6–2013–2(280) / 2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता है।
2. संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर–2–2007–2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर–2–2008– 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्राविधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
5. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
6. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
7. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
8. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
9. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
10. महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

भवदीय,

कुलसचिव 11/2/15

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
3. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य,, दी0द0उ0गो0वि0वि0,गो0।
4. उप कुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय।
5. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)

कुलसचिव

प्राप्त - 17-6-2015
S.R.No- (104)

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F. No./NRC/NCTE/UP-2239/2015 110809 **Date:** 5 JUN 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. **AND WHEREAS,** the recognition was granted by NRC to **Chandrakanti Ramawati Devi Arya Mahila P. G. College, Nai Colony Dewan Bazar, Gorakhpur, Uttar Pradesh** for M.Ed. Course vide order no. NRC/NCTE/F-73/UP-2239/2007/32257-32263 dated 12.11.2007 with an annual intake of 25 seats.

3. **AND WHEREAS,** the said institution has by affidavit consented to come under New Regulations which require additional facilities.

4. **AND WHEREAS,** it has been decided to permit the institution to have one basic unit of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

(i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.

(ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

(iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

(iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

4. **Now therefore,** in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Chandrakanti Ramawati Devi Arya Mahila P. G. College, Nai Colony Dewan Bazar, Gorakhpur, Uttar Pradesh** for conducting M.Ed. programme of **two years duration** with an **annual intake of 50 for one basic units of 50 students from the academic session 2015-2016** subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
डी० पी० कॉलेज गोरखपुर

कार्यालय : जीवन निधि-II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल
भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No: 0141-2744098, 2744515, Fax : 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle
Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail : nrc@ncte-india.org
Website : www.ncte-india.org

संख्या–3796 / सत्तर–6–2008–2(568) / 2007

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2008

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

विषय– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1844 / सम्बद्धता / 2008, दिनांक 15.09.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन श्री राज्यपाल चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी0जी0कालेज, दीवान बाजार, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत एम0एड0 पाठ्यक्रम में 25 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
4. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक / विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।
5. आगामी शैक्षिक सत्र में छात्र आवंटन से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों / विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस संबंध में शासन को सम्यक आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–3796(1) / सत्तर–6–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए–46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
4. प्रबन्धक, चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी0जी0कालेज, दीवान बाजार, गोरखपुर।
5. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

प्राप्त 16-12-2004

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर – 273009

पत्रांक : 9939-41/सम्बद्धता/2004 दिनांक : 15.12.2004

सेवा में,

प्राचार्य,
चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,
गोरखपुर।

विषय : स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलाधिपति के विशेष सचिव के पत्र संख्या ई.स./5898/जी.एस. दिनाँक 17.11.2004 द्वारा दिनाँक 01.07.2004 से स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्त-पोषित योजना के अन्तर्गत आपके महाविद्यालय को सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को उक्त पत्र में उल्लिखित शर्त/शर्तों को लगातार पूरा करने की शर्त पर कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी क्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आप उपरोक्त शर्त/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. परीक्षा नियन्त्रक, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

उप कुलसचिव
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांकः 1536 /सम्बद्धता/2008 दिनांकः 28 .01.2008

सेवा में,

प्राचार्य,
चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,
गोरखपुर।

विषयः स्नातकोत्तर स्तर पर **कला** संकाय के अन्तर्गत **गृह विज्ञान** विषय में कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्याः मं0 उ0 शि0 1417/सत्तर–6–2007–2(32)/91 टी0 सी0 दिनांकः 29, नवम्बर, 2007 द्वारा दिनांकः 01.07.2007 से **स्नातकोत्तर** स्तर पर **कला** संकाय के अन्तर्गत **गृह विज्ञान** विषय में आपके महाविद्यालय को सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को उक्त पत्र में उल्लिखित शर्त/शर्तों को लगातार पूर्ण करने की शर्त पर कक्षा संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा। इसी क्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आप उपरोक्त शर्त/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परीक्षा नियंत्रक, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
3. प्रबन्धक सम्बन्धित महाविद्यालय।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2021/विस्तरण (116)/ 3055 दिनांक : 20/05/2022

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila Mahavidyalaya, Gorakh

विषय : **B.Com. M.A.- Drwaing & Painting, विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता विस्तरण प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन ***सम्बद्धता समिति ने माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत योजित विषयों/पाठ्यक्रमों में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु सम्बद्धता विस्तरण प्रदान करने की संस्तुति की है।***

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर **Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila Mahavidyalaya, Gorakh** को शैक्षिक सत्र **2022–23 हेतु संदर्भित विषयों/पाठ्यक्रमों (B.Com. M.A.- Drwaing & Painting) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तरण प्रदान की जाती है–**

1. महाविद्यालय, **सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों– *प्राचार्य अनुमोदित न होने के कारण* अनापत्ति आदेश में इंगित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा। शासनादेश के अनुसार स्थाई सम्बद्धता के मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही** महाविद्यालय को **स्थाई सम्बद्धता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।**
2. **महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(050)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. **महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**
14. **महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21, 2021–22 तथा डी0सी0एफ0–।। का फार्म पूरित कर दिया जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**

भवदीय,

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्याः सम्बद्धता/2022/116/.....तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1). प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर। (3). अधिष्ठाता, कला, वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी/अधीक्षक, परीक्षा सामान्य अनुभाग, (4). प्रभारी/अधीक्षक, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय। (5). प्रभारी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ। (6). गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव